

(य) उच्च तकनीकी ज्ञान प्रदान करने, अन्तर्राज्यीय भ्रमण, दक्षता विकास प्रदर्शनी और सेमिनारों के लिए मत्स्य पालकों/मछुआरों के प्रशिक्षण/भ्रमण पर कुल कोष का दो प्रतिशत तक व्यय:-

### **1-प्रशिक्षणार्थीयों का चयन:-**

प्रशिक्षण के इच्छुक आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन जनपदीय मत्स्य अधिकारी के कार्यालय में किया जायेगा तथा जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव मत्स्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जायेगा।

### **2-प्रशिक्षण के प्रकार:-**

- प्रशिक्षण राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड के मानक के अनुसार प्रकार के होंगे-

- 
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(अ) एकदिवसीय वर्कशाप/कान्फ्रेन्स:- राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड की नवीनतम दर से मदवार निम्नानुसार निर्धारित हैं-

क्र0 सं0	इकाई लागत के घटक	धनराशि रु0 में अधिकतम ) (सीमा
1	उद्घाटन / सत्र प्रारम्भ व्यय (बैनर, बुके, फोटो इत्यादि)	1,000
2	कार्यशाला स्थल का किराया( अधिकतम रु0 5,000 एक पूर्ण दिवस के लिए)	5,000
3	वर्कशाप या कार्यशाला किट( फोल्डर पैड, पेन, सन्दर्भ सामग्री इत्यादि)	रु0 100/- प्रति प्रतिभागी की दर से
4	रिसोर्स पर्सन के लिए मानदेय (आनारेरियम)	तीन सत्र के लिए रु0 750/- प्रति व्यक्ति
5	लंच एवं रिफ्रेशमेन्ट	रु0 300/- प्रति व्यक्ति की दर से
6	विविध	2,000

(ब) त्रिदिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:- राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड की नवीनतम दर से मदवार निम्नानुसार निर्धारित हैं-

क्र0 सं0	इकाई लागत के घटक	धनराशि रु0 में (अधिकतम सीमा)
1	दैनिक भत्ता(टी0ए0)	रु0 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन की दर से
2	यात्रा भत्ता (टी0ए0) इन - हाउस ट्रेनिंग	रु0 200 प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से आने जाने हेतु
3	एकोमोडेशन	रु0 600/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन की दर से तीन दिन के लिए
4	रिसोर्स पर्सन के लिए मानदेय (आनारेरियम)	पांच सत्र व तीन दिन के लिए रु0 750/- प्रति व्यक्ति प्रति सत्र की दर से
5	प्रशिक्षण सामग्रीस्टेशनरी का / वितरण	रु0 250/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति कार्यक्रम
6	प्रशिक्षणार्थियों के लिए लंच, चाय, स्नैक्स	रु0 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन
7	डिमान्सट्रेशन फील्ड विजिट/	रु0 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति कार्यक्रम की दर से
8	विविध	2,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(17)

(ब १) त्रिदिवसीय अनावासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:- राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड की नवीनतम दर से मदवार निम्नानुसार निर्धारित है-

क्र० सं०	इकाई लागत के घटक	धनराशि रु० में (अधिकतम सीमा)
1	दैनिक भत्ता( डी०ए०)	रु० 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन की दर से
2	यात्रा भत्ता (टी०ए०) इन हाइस ट्रेनिंग	रु० 300 प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से आने जाने हेतु
3	रिसोर्स पर्सन के लिए मानदेय (आनरेरियम)	तीन दिन में पांच सत्र के लिए रु० 750/- प्रति व्यक्ति प्रति सत्र की दर से
4	प्रशिक्षण सामग्रीस्टेशनरी का / वितरण	रु० 250/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति कार्यक्रम
5	प्रशिक्षणार्थियों के लिए लंच, चाय, स्नैक्स	रु० 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन
6	डिमान्सट्रेशन फील्ड विजिट/	रु० 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति कार्यक्रम की दर से
7	विविध	2,000

(स) पांच दिवसीय एक्सपोजर विजिट:- राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड की नवीनतम दर से मदवार निम्नानुसार निर्धारित है-

क्र० सं०	इकाई लागत के घटक	धनराशि रु० में (अधिकतम सीमा)
1	दैनिक भत्ता (डी०ए०) ( चार दिन की अनुमानित यात्रा अवधि को सम्मिलित करते हुए) (रु० 300XX = रु० 2,700/-)	रु० 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन (यात्रा प्रारम्भ से अन्त तक वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर)
2	यात्रा भत्ता(टी०ए०)	आने लाने हेतु वास्तविक आवागमन किराया स्लीपर क्लास अधिकतम रु० 2000/- प्रति व्यक्ति
3	एकोमोडेशन: अधिकतम रु० 600/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन की दर से (इन- हाइस ट्रेनिंग) (रु० 600X5X1 = रु० 3000/-)	रु० 600/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(18)

4	स्टेशनरी	रु0 100/- प्रति प्रशिक्षणार्थी
5	प्रशिक्षणार्थियों एवं साथी अधिकारियों के लिए लंच, चाय, स्नैक्स	रु0 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन
6	विविध	2,000

प्रशिक्षण स्थल/संस्था का निर्धारण निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा